पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय, राँची।

—: आवश्यक सूचना :—

इस वर्ष रामनवमी (श्री राम जन्मोत्सव) का पावन पर्व दिनांक–26/**27.03.2026** को हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाऐगा। दिनांक–26**.03.2026** को राँची शहर के विभिन्न अखाड़ों से संध्या में झांकियॉ निकाली जाती है। रामनवमी का मुख्य शोभा यात्रा जुलूस दिनांक–**27.03.2026** को निकाली जाएगी। इसके साथ ही दिनांक–28**.03.2026** को चैती दुर्गाजी का विसर्जन कार्यक्रम भी निर्धारित है। उक्त अवसर पर राँची शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था निम्नवत् होगी :–

➢ **<u>दिनांक–26.03.2026 के लिए यातायात व्यवस्था</u> :–**

1. दिनांक–26.03.2026 को समय 04:00 बजे अपराह्न से दिनांक–27.03.2026 के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेष निषेद्य रहेगा। सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालित होंगे।
2. दिनांक–26.03.2026 को छोटा मालवाहक वाहन संध्या 05:00 बजे से 12:00 बजे रात्रि तक परिचालन वर्जित रहेगा।
3. दिनांक–26.03.2026 को संध्या 04:00 बजे से दिनांक–27.03.2026 के पूर्वा0 06:00 बजे तक किशोरी यादव चौक से अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक के तरफ से अपर बाजार महावीर मंदिर चौक एवं सुभाष चौक से अपर बाजार महावीर मंदिर चौक की तरफ एवं शहीद चौक से सुजाता चौक तक ऑटो/टोटो/नगर निगम की सभी बंसे तथा सामान्य परिचालन वर्जित रहेगा।

➢ **<u>दिनांक–27.03.2026 के लिए यातायात व्यवस्था</u> :–**

1. दिनांक–27.03.2026 को प्रातः 08:00 बजे से दिनांक–28.03.2026 के प्रातः 04:00 बजे तक शहरी क्षेत्र में बड़ी वाहनों का प्रवेष निषेद्य रहेगा। सभी प्रकार के बड़ी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालित होंगे।
2. दोपहर 12:30 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक सभी छोटे मालवाहक वाहनों (ऑटो/टोटो सहित) का परिचालन राँची शहर में वर्जित रहेगा।

➢ **दिनांक–27.03.2026 को निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन विभिन्न मार्गो में अपराह्न 13:00 बजे से जुलूस समाप्ति तक निम्न प्रकार होगा :–**

1. किशोरी यादव चौक से अपर बाजार महाबीर मंदिर चौक, शहीद चौक के तरफ से अपर बाजार महाबीर मंदिर चौक एवं सुभाष चौक से अपर बाजार महाबीर मंदिर चौक की तरफ सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. एस0एस0पी0 आवास चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक जाने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
3. सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुँच सकेंगे एवं उसी जगह से अन्य मार्गों पर परिचालित होंगे।
4. जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक आने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
5. पुराना नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
6. चडरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
7. प्लाजा चौक से अल्बर्ट एक्का चौक जाने वाले मार्ग में सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
8. पुरूलिया रोड से सर्जना चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
9. एस.एन. गांगुली रोड/विष्णु गली/बुधिया गली एवं राधेश्याम गली से मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
10. चर्च रोड से मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
11. उल हाउस के पास मेन रोड के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
12. कर्बला चौक से रतन पी0पी0 के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
13. पी0पी0 कम्पाउण्ड से सुजाता चौक के तरफ आने वाले सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
14. चुटिया बाजार रोड में दोनों तरफ से वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
15. राजेन्द्र चौक से ओवरब्रीज, सुजाता चौक की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
16. पिस्का मोड़ से रातु रोड न्यू मार्केट चौक की तरफ सामान्य परिचालन वर्जित रहेगा।

➢ **दिनांक–28.03.2026 के लिए यातायात व्यवस्था** :–

1. दिनांक–28.03.2026 को प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक शहरी क्षेत्र में बड़ी वाहनों का प्रवेष निषेद्य रहेगा। सभी प्रकार के बड़ी वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक परिचालन होगें। साथ ही चैती दुर्गा विसर्जन के दौरान विसर्जन वाले रूट पर आवश्यकतानुसार रूट को डायवर्ट किया जाऐगा।

Scanned with OKEN Scanner

राँची शहर के अन्य मार्गों में रामनवमी शोभा यात्रा/जुलूस के आधार पर यातायात को आवश्यकतानुसार डायभर्ट किया जाऐगा।

23/03/26

पुलिस अधीक्षक यातायात,
राँची।

ज्ञापांक 553/यातायात,

पुलिस अधीक्षक यातायात का कार्यालय,
राँची, दिनांक :– 23.03.2026

प्रतिलिपि :–

1. उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला, सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि दिनांक–25.03.2026, 26.03.2026 एवं 27.03.2026 को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।
5. वरीय पुलिस उपाधीक्षक–प्रथम/पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय, यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. परिचारी प्रवर/परिचारी, यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. सभी पु0नि0–सह–यातायात थाना प्रभारी/थाना प्रभारी यातायात, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

23/03/26

पुलिस अधीक्षक यातायात,
राँची।

Scanned with OKEN Scanner